

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना-2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

25 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की वरचुअल बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परिवार में नरिणय की भूमिका सुदृढ़ किये जाने के लिये 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना-2023' का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- योजना में समय-सीमा में स्वीकृतिये जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी।
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लकिड बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में यदि प्रतिमाह 1000 रुपए से कम राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रुपए तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
- योजना में समस्त आवेदन निःशुल्क ऑनलाइन प्राप्त किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त हतिग्राही यदि स्वयं उपस्थिति होकर 'आवेदन के लिये आवश्यक जानकारी का प्रपत्र' देती है तो उसकी भी प्रवर्षिटी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हतिग्राहियों को 1000 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जाएगी।